

FPIUP/other/14-6059/2021

भाग -4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)	cf. 2-1412152 की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
----	--	---

दिनांक:- 18/11/21
स्थान

हस्ताक्षर Anupam Gupta
नाम Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
सरकारी मोहर Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow